न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व मूल वाद सख्या 116/2024

वादी :–

1. प्रभुदान चारण पुत्र लक्ष्मीदान चारण जाति चारण निवासी शक्ति नगर, छठी गली, पावटा सी रोड़ जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. प्रवीण पारख पुत्र जसवंत राज जाति ओसवाल निवासी ए–117 शास्त्री नगर जोधपुर
2. सुनिता वी.जैन पत्नी श्री विमल चन्द जैन जाति ओसवाल निवासी 7–जालम विलास, पावटा बी रोड़, जोधपुर।
3. सरला भंसाली पत्नी श्री अर्जुनराज भंसाली जाति ओसवाल निवासी ए–8 धर्मनारायण जी का हत्था लोहार बस्ती, पावटा जोधपुर
4. अभिषेक पारख पुत्र अशोक पारख जाति ओसवाल निवासी ए–117 शास्त्री नगर, जोधपुर।

———————

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह।
2. प्रतिवादीगण की ओर से प्रेमकुमार देवड़ा।

दिनांक :– 08-7-2025

–: आदेश :–

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 667 रकबा 1.6552 हैक्टेयर भूमि मौजा ग्राम नारनाडी तहसील झंवर में आयी हुई है जिनमे प्रतिवादीगण रेकर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने उक्त खसरान् की भूमि में से करीब 10 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का इकरारनामा इस शर्त के साथ किया कि प्रतिवादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि को मौके पर नपवाकर देगें, तथा नक्शा में दिखाया गया 40 फुट रास्ता भी वादी को देगें, वादी के पक्ष में दिनांक 20–01–2022 को निष्पादित किया था तब से वादी उक्त इकरारनामा के जरिये भूमि पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि का इकरारनामा निष्पादित किया, उस समय एवं दिनांक 25–02–2022 को वादी ने प्रतिवादीगण को कुछ राशि अदा की। इकरारनामा के निष्पादन के समय से ही प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का कब्जा भी वादी को सुपुर्द कर दिया था परन्तु प्रतिवादीगण इकरारनामा में दी गई शर्तों की पालना नहीं कर रहे है, तथा उक्त भूमि को हड़प करने की नियत से नाजायज तरीके से विधि विरूद्ध एवं कानून विपरित जाकर कब्जा करने पर प्रतिवादीगण उक्त वादी की

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

इकरारनामें के जरिये खरीदशुदा भूमि पर आगया है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के पक्ष में किया गया इकरारनामा की शर्तों की पालना करते है तो वादी बाकी बची हुई रकम की अदायगी कर बैचाननामा निष्पादित करवाने को तैयार है, परन्तु प्रतिवादीगण वादी के पक्ष में किया गया इकरारनामा को नजरअन्दाज कर वादी को उसकी खिरी से बेदखल करने पर आमादा है, तथा वादी की इकरारनामा के जरिये खरीदशुदा भूमि को भी प्रतिवादीगण खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है, इस कारण वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया।

वादी के वाद को कार्यालय रजिस्टर में दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता प्रेम कुमार तेवड़ा ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर वादी के वाद को खारीज करने का निवेदन किया है। वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का स्वयं को जरिये इकरारनामें से उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का क्रेता बताकर वाद पेश किया गया हैं। वादी द्वारा जिस इकरारनामें के आधार पर माननीय न्यायालय में यह वाद पेश किया गया हैं उक्त इकरारनामा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया था एवं स्वयं वादी द्वारा मूल इकरारनामें पर निरस्तीकरण के नोट अंकन करते हुए उक्त मूल इकरारनामा प्रतिवादीगण को सुपुर्द किया गया। वादी ने उक्त तथ्यों को छुपाते हुए वाद पेश किया हैं जिस इकरारनामें से वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं एवं न ही हो सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार भी वर्तमान वाद पोषणीय नहीं हैं क्योंकि वादी द्वारा इकरारनामा बेचान के आधार पर वाद पेश किया गया हैं जबकि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो रेकर्डेड खातेदार हैं उन्हीं के द्वारा वाद पेश किया जा सकता हैं। वादी न तो रेकर्डेड खातेदार हैं एवं न ही वादी का वाद घोषणा खातेदारी का पेश किया गया हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को उसी रूप में पठन पाठन एवं समग्र अवलोकन से भी वादी को वाद प्रस्तुत करने हेतु कोई वादकरण पैदा होना नहीं माना जा सकता है इस कारण से वाद पत्र इसी विनाय पर रिजेक्ट किये जाने योग्य हैं। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाने एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। वादी द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उक्त खसरान् की भूमि में से करीब 10 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का बेचान इकरारनामा वादी के पक्ष में दिनांक 20.01.2022 को निष्पादित किया है तथा उक्त इकरारनामा में वादी को खरीदशुदा भूमि पर कब्जा सुपुर्द करने का उल्लेख किया है। प्रतिवादीगण ने झूठे व गलत तथ्य के आधार पर प्रार्थना पत्र किया। उक्त इकरारनामा निरस्त नहीं किया गया है। अगर निरस्त कर दिया होता तो मूल इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पुनः अपने कब्जे में लेते। सारे तथ्य प्रतिवादीगण ने झूठे उल्लेखित किये है। वादी ने कोई तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं छुपाये है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी को इकरारनामा के जरिये कब्जा सुपुर्द किया है तथा मौके पर आज भी वादी काबिज है। प्रतिवादीगण बेचान इकरारनामा के जरिये वादी के पक्ष में बेचाननामा निष्पादित नहीं करवा रहे है तथा वादी को उक्त बेचान इकरारनामा के जरिये खरीद कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण वादी के कब्जाकाश्त में दखलन्दाजी करने लगे तब वाद कारण उत्पन्न होने से वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच बेचान इकरारनामा निष्पादित हुआ है। प्रतिवादीगण के द्वारा बेचान इकरारनामा के द्वारा बेचान की गई भूमि से वादी को बेदखल करने पर उतारू है। इस कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

व प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद ही माननीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आयेगें कि उक्त वाद में वादी का हित निहित है। प्रतिवादीगण ने सारे तथ्य झूठे व मनगंढत उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय हर्जे खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। वादी के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने विवादग्रस्त भूमि का इकरारनामा वादी के पक्ष में दिनांक 20–01–2022 को निष्पादित किया गया था। उक्त इकरारनामा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया था एवं स्वयं वादी द्वारा मूल इकरारनामें पर निरस्तीकरण के नोट अंकन करते हुए उक्त मूल इकरारनामा प्रतिवादीगण को सुपुर्द किया गया जो कि संलग्न पत्रावली से स्पष्ट है। वादी द्वारा पेश राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद के संलग्न विवादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दिनांक 23.02.2024 पेश की है जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 रेकर्डेड सहखातेदार है जबकि वादी उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में रेकर्डेड खातेदार नहीं है जबकि इस धारा के अंतर्गत एक खातेदार को ही स्थाई व्यादेश का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है खातेदार के अलावा व्यक्ति जो वादग्रस्त भूमि पर काबीज है तथा उसे यदि इस धारा के अंतर्गत स्थाई व्यादेश प्राप्त करना है तो उसे घोषणा का वाद भी लाना होगा घोषणा के वाद के अभाव में मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से कम हो।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 116 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. प्रभुदान चारण पुत्र लक्ष्मीदान चारण जाति चारण निवासी शक्ति नगर, छठी गली, पावटा सी रोड़ जोधपुर।		1. प्रवीण पारख पुत्र जसवंत राज जाति ओसवाल निवासी ए–117 शास्त्री नगर जोधपुर 2. सुनिता वी.जैन पत्नी श्री विमल चन्द जैन जाति ओसवाल निवासी 7–जालम विलास, पावटा बी रोड़, जोधपुर। 3. सरला भंसाली पत्नी श्री अर्जुनराज भंसाली जाति ओसवाल निवासी ए–8 धर्मनारायण जी का हत्था लोहार बस्ती, पावटा जोधपुर 4. अभिषेक पारख पुत्र अशोक पारख जाति ओसवाल निवासी ए–117 शास्त्री नगर, जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 116 / 2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..... .....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 08-7-2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी